

न्यायालय :- जिला न्यायाधीश, बाडमेर, जिला बाडमेर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : अजिताभ आचार्य, आर.जे.एस.
जिला न्यायाधीश संवर्ग
प्रकरण संख्या : 33/2025 दीवानी विविध
(CIS No. 48/2025)

प्रार्थीगण :-

1. किशनाराम पुत्र गागन उम्र 65 वर्ष
2. गुलाब पुत्र पर्वता, उम्र 30 वर्ष
3. चम्पा पुत्र पर्वता, उम्र 28 वर्ष
4. मुमल पत्नी पर्वता, उम्र 55 वर्ष
निवासी सेजुओं की ढाणी, हाल विशाला, तहसील व जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. देदाराम पुत्र सांगाराम
2. मोटा पुत्र सांगा
3. नखता पुत्र सांगाराम के कायम मुकाम
3/1 वीरमाराम पुत्र नखताराम
3/2 चुनाराम पुत्र नखताराम
3/3 गंगादेवी पत्नी नखताराम
4. नाथु पुत्र गागन
5. श्रीमती अन्तरीदेवी पत्नी गागन
6. धुड़ी पत्नी लिखमाराम
निवासी सेजुओं की ढाणी, तहसील व जिला बाडमेर
7. उप पंजीयक बिशाला

**आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता वास्ते प्राप्त
करने अस्थायी निषेधाज्ञा**

उपस्थिति :-

1. श्री कुन्दनसिंह चौहान, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री प्रेमकुमार प्रजापत, अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 1 से 6 की ओर से।
3. श्री दामोदर कुमार चौधरी, राजकीय अभिभाषक, विप्रार्थी सं. 7 की ओर से

आदेश

दिनांक :- **11.05.2026**

1. प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण के विरुद्ध एक दीवानी वाद वास्ते अधिमानी अधिकार व पंजीबद्ध बेचान दिनांक 12.07.2023 को निरस्त कर क्रेता प्रतिवादी संख्या 6 के स्थान पर वादीगण को प्रतिस्थापित करने एवं प्राप्त करने स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर साथ ही एक प्रार्थना-पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता वास्ते प्राप्त करने अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 से 5 का संयुक्त परिवार के एवं सभी मुतवफी भोमाराम पुत्र मूलाराम के वैद्य वारिषान हैं तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की प्रथम सूची से शासित हैं। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 5 के पैतृक संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 183 रकबा 5.4309 हेक्टेयर मौजा सेजुओ की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर में आया हुआ है। वादग्रस्त आराजी मूल रूप से भोमाराम पुत्र मूलाराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई थी। भोमाराम पुत्र मूलाराम के स्वर्गवास होने के उपरान्त वादग्रस्त खेतो का नामान्तकरण सां. गाराम व गागनराम के नाम से स्वीकृत हुआ था तथा सांगाराम के फौत होने पर उनके विधिक वारिषान विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के नाम तथा विप्रार्थी संख्या 3 के फौत होने पर उनके विधिक वारिषान वीरमाराम, चुनाराम व गंगादेवी के नाम से फौतगी का नामान्तकरण स्वीकृत किया गया था तथा इसी प्रकार गागन के स्वर्गवास के बाद गागन के वारिषान प्रार्थी संख्या 1, प्रार्थी संख्या 2 से 4 के पिता/ पति के नाम से एवं विप्रार्थी संख्या 4 व 5 के नाम से स्वीकृत किया गया था। वादग्रस्त आराजी का प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 5 के नाम संयुक्त से राजस्व अभिलेखों में दर्ज है एवं सभी खातेदारों के मध्य विधिवत बं. टवाडा नहीं हुआ है परन्तु बाहमी बंटवाडा कर प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से

5 अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा प्रार्थीगण के हिस्से में उनकी रहवासी ढाणीयां, टांके, चारबाड़े इत्यादि बने हुए हैं। विप्रार्थी संख्या 1 से 5 ने आज से करीबन 5 वर्ष पूर्व रकम की आवश्यकता होने की वजह से वादग्रस्त खेत में विप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने अपने 1/2 हिस्से की भूमि तथा विप्रार्थी संख्या 4 व 5 ने अपने अपने 1/8ए 1/8 अर्थात् कुल 1/4 हिस्से की भूमि का बेचान कर प्रतिफल की राशि प्राप्त कर प्रार्थीगण को खेत पर सम्पूर्ण रूप से कब्जा दे दिया था तथा प्रार्थीगण, विप्रार्थी संख्या 1 से 5 के कब्जे एवं काश्त की भूमि पर सम्पूर्ण रूप से काबिज हो गये एवं काश्त करने लगे। तत्पश्चात प्रार्थीगण ने विप्रार्थी संख्या 1 से 5 को कई मर्तबा कहा कि विप्रार्थी संख्या 1 से वादग्रस्त भूमि जो प्रार्थीगण को बेचान की हगें उसकी रजिस्ट्री प्रार्थीगण के पक्ष में करवा लेवे तब विप्रार्थी संख्या 1 से 5 हमेशा टालमटोल करते रहे। वर्तमान में जमीनो की कीमतो में वृद्धि हो जाने के वजह से विप्रार्थी संख्या 1 से 5 ने, विप्रार्थी संख्या 6 से सांठ गांठ कर पूर्व में प्रा. र्थीगण को बेचान की गई 3/4 हिस्से की भूमि को पुनः विप्रार्थी संख्या 6 को दिनांक 12.07.2023 को बेचार कर उसका पंजीयन उप पंजीयक विशाला के यहां उसकी दिन पंजीबद्ध करवा दिया। तत्पश्चात दिनांक 18.07.2023 को विप्रार्थी संख्या 6 ने अपने नाम से वादग्रस्त खेत की भूमि जो खरीद की गई थी उसका नामान्तकरण चोरी छिपे अपने नाम से स्वीकृत करवा दिया। तत्पश्चात विप्रार्थी संख्या 6 ने वादग्रस्त खेतो पर आकर प्रार्थीगण के कब्जे एवं काश्त में दखलदांजी की तथा वादग्रस्त जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया तथा प्रा. र्थीगण को बताया कि उन्होने विप्रार्थी संख्या 1 से 5 के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को जरिये रजिस्ट्री खरीद लिया हैं तब प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 से 6 को गांव के मौजीज लोगो से समझाईश करवाई तब विप्रार्थी संख्या 1 से 6 ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण को आश्वासन दिया कि विप्रार्थी संख्या 1 से 5 द्वारा जो भूमि विप्रार्थी संख्या 6 को बेचान की गई हैं उस भूमि की राशि 18,10,000 रूपयेक व स्टाम्प खर्च व अन्य खर्च 1,12,377 कुल 19,22,377 रूपये प्रार्थीगण विप्रार्थी संख्या 6 को अदा कर देवे तो विप्रार्थी संख्या 6 वादग्रस्त भूमि का बेचान प्रार्थीगण के पक्ष में कर देगें, जिस पर प्रार्थीगण ने हामी भर ली। लेकिन अर्सा 2 दिन पूर्व की विप्रार्थी संख्या 6 ने वादग्रस्त भूमि को प्रार्थीगण को बेचान करने से व रूपये लेने से मना कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 6 ने वादग्रस्त खेतो में अपने हिस्से की भूमि को बंटवाडा करने का एक

वाद पत्र प्रस्तुत किया जिसका जवाब प्रार्थीगण द्वारा दिया गया जो वाद वर्तमान में विचाराधीन हैं। वास्तव में प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 5 एक ही परिवार के सदस्य हैं एवं वादग्रस्त आराजी में संयुक्त खातेदार हैं एवं किसी हिन्दु संयुक्त खातेदार द्वारा अपनी भूमि के हित का अन्तरण करे तो कानूनन सह खातेदार को सर्व प्रथम उस भूमि हित को खरीदने/पाने का हक हिन्दू उत्तराधि कार अधिनियम की धारा 22 के अनुसार अधिमानी अधिकार के तहत सम्पति अर्जित करने का हकदार हैं। इसलिए विप्रार्थी संख्या 1 से 5 के द्वारा विप्रार्थी संख्या 6 के पक्ष में निष्पादित आलौच्य बेचान दिनांक 12.07.2023 में अंकित विक्रय प्रतिफल एवं अन्य खर्च की कुल राशि अदा करते हुए उक्त अधिमानी अधिकार के अन्तर्गत प्रार्थीगण, विप्रार्थी संख्या 6 क्रेता के स्थान पर प्रतिस्थापित होने के हकदार हैं। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पैतृक एवं पुश्तैनी कब्जासुद भूमि हैं, जिस पर वर्तमान में प्रार्थीगण द्वारा तारबंदी कर अपना पक्का रहवासी मकान बना रखा है जिसमें प्रार्थीगण अपने परिवार सहित निवास करते आ रहे हैं तथा विप्रार्थी संख्या 6 अजनबी क्रेता हैं जिसे अजनबी क्रेता भूमि क्य कर रहवास करने से प्रार्थीगण एवं उसके परिवार की निजता भंग होगी तथा बजनबी क्रेता द्वारा वादग्रस्त खेत पर कब्जा कर उसमें दखलदांजी कीजाती है तो प्रार्थीगण को कई कठिनाईया होगी तथा साथ ही साथ विप्रार्थी संख्या 6 दबंग एवं ताकतवर परिवार से है एव प्रार्थीगण के मना करने एवं प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी में भूमि खरीदने की तैयारी के दौरान छुपे तौर पर विप्रार्थी संख्या 1 से 5 द्वारा कपट पूर्वक तथा षडयंत्र रचकर विप्रार्थी संख्या 6 के पक्ष में आलौच्य बेचाननामा निष्पादित करवाया जिससे प्रार्थीगण की निजता भंग होगी इसलिए प्रार्थीगण को परिवार की सम्पति परिवार के पास ही रखने एवं बाहरी व्यक्तियों को घर में घुसने से रोकने का अधिकार प्राप्त हैं। इसलिए उक्त बेचान प्रार्थीगण के हितो तक शून्य एवं निष्प्रभावी हैं। प्रार्थीगण विप्रार्थी संख्या 6 को आज भी उक्त आलौच्य बेचान में अंकित प्रतिफल की राशि व उस पर देय स्टाम्प शुल्क के रूपये लौटाने को तैयार एवं तत्पर हैं। विप्रार्थी संख्या 6 ने छुपे तौर पर कपट से निष्पादित आलौच्य बेचाननामा के आधार पर अर्सा 15 दिन से लगातार प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी में अंतरित हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर प्रयासरत हैं तथा प्रार्थीगण को उसकी पैतृक सम्पति से महरूम करने पर आमदा हैं। ऐसी स्थिति में विप्रार्थी संख्या 6 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि विप्रार्थी संख्या 6

संरक्षण भूमि में प्रार्थीगण केकब्जे काशत संयुक्त परिवार की भूमि में दखलदांजी, परिवर्तन व हस्तक्षेप नहीं करे तथा न ही प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने का प्रयास करें। उक्त आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में नहीं की जा सकेगी। सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। अंत में निवेदन किया गया कि प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर, प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरुद्ध ताफैसला वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि विप्रार्थी संख्या 6 वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रार्थीगण के हक अधिकारों में दखलदांजी व बाधा कारित नहीं करे तथा वादग्रस्त खेत का बेचान या हस्तान्तरण किसी अन्य को नहीं करे तथा रेकॉर्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे।

2. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब विप्रार्थी संख्या 1 से 6 की ओर से प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 5 भामाराम के विधिक वारिसान हैं लेकिन सभी अलग-अलग अपने अपने परिवार सहित निवास करते हैं, संयुक्त परिवार नहीं होकर सभी एकल परिवार में रहते हैं। प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 से 5 वर्तमान में वादग्रस्त आराजी पर काबिज नहीं हैं व न ही कब्जा हैं वर्तमान में उक्त खसरान् पर विप्रार्थी संख्या 6 का कब्जा काशत है। सभी खातेदारों द्वारा अपने-अपने बाहमी बंटवाड़े अनुसार कब्जा व काशत है। विप्रार्थी संख्या 1 से 5 द्वारा अपने हिस्से में आने वाली सम्पूर्ण भूमि का बेचान विप्रार्थी संख्या 6 को कर दिया है और वक्त बेचान से लेकर आज दिन तक उक्त भूमि पर बेचान की गई खातेदारी भूमि पर विप्रार्थी संख्या 6 का कब्जा चला आ रहा है तथा उसी अनुसार टांके व चारबाड़े विप्रार्थी संख्या 6 के बने हुए हैं। करीबन 5 वर्ष पूर्व न ही विप्रार्थी संख्या 1 से 5 ने अपने हिस्से की भूमि को बेचान करने का प्रतिफल प्रार्थीगण से प्राप्त किया है मात्र मौखिक व झूठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण विप्रार्थी संख्या 1 से 5 के विरुद्ध यह झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। दिनांक 12.07.2023 तक उक्त खसरान् की भूमि पर हिस्से अनुसार विप्रार्थी संख्या 1 से 5 का कब्जा था तथा उसी अनुसार काशत करते थे और दिनांक 12.07.2023 को बेचान करने के बाद विप्रार्थी संख्या 6 का कब्जा व काशत चला आ रहा है। विप्रार्थी संख्या 1 से 5 द्वारा दिनांक 12.07.2023 को अपनी खातेदारी भूमि घरेलु आवश्यकता के

लिये रूपयो की आवश्यकता होने तथा विप्रार्थी संख्या 5 अंतरी बुजुर्ग होने के कारण ईलाज के लिये रूपयो की आवश्यकता होने पर विप्रार्थी संख्या 1 से 5 ने मिलकर उक्त खातेदारी भूमि बेचान करने के लिए आपस में एक दुसरे को आग्रह किया, लेकिन किसी ने उक्त जमीन को खरीद करने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तब नजदीक के रिश्तेदार श्रीमती धुड़ी देवी पत्नी लिखमाराम ने कहा कि उक्त जमीन आप सभी खातेदार के द्वारा बेचान कीजाती हैं तो मैं बाजार मोल से खरीद कर लूंगी तब गांव के कुछ मुखिया भी साथ थे। तब सभी के द्वारा सहमति देने पर विप्रार्थी संख्या 6 को भूमि का बेचान किया गया है। बेचान से पहले विप्रार्थी संख्या 1 से 5 द्वारा विप्रार्थी संख्या 6 को मौके पर ले जाकर अपने हिस्से अनुसार भूमि पर कब्जा सुपुर्द किया तत्पश्चात बेचान होने के बाद ग्राम पंचायत द्वारा आम सहमति से नामान्तरण स्वीकृत किया गया। वक्त बेचान से लेकर आज दिन तक विप्रार्थी संख्या 6 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। विप्रार्थी संख्या 6 ग्रामीण परिवेश की महिला हैं तथा उसका पति लिखमाराम विकलांग व्यक्ति हैं। विप्रार्थी संख्या 6 नजदीकी परिवार की सदस्या हैं तथा एक ही जाति समाज की महिला हैं तो पिछले दो वर्षों से उक्त खेत में काश्त कर रही हैं तथा 3/4 हिस्से पर बेचान से लेकर आज दिन तक सद्भाविक क्रेता के रूप में काबिज हैं। विप्रार्थी संख्या 1 से 5 द्वारा कानूनी बिन्दुओं व हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम को ध्यान में रखकर सह खातेदारों द्वारा वक्त बेचान के समय खरीदने की हामी नहीं भरने पर नजदीकी रिश्तेदार को बेचान की गई है। वर्तमान में विप्रार्थी संख्या 6 उक्त भूमि को रेकॉर्ड से अलग करवाने के लिए सहायक कलेक्टर बाड़मेर के न्यायालय में कार्यवाही कर रही हैं। वर्तमान में विप्रार्थी स प्रार्थीगण अपने-अपने हिस्से अनुसार भूमि पर काबिज हैं कोई किसी को बेदखल तथा किसी भी तरह की कोई बाधा या बेदखल करने का प्रयास अपने हक हिस्सेतक नहीं कर रहे हैं। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी संख्या 6 को तंग व परेशान करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इसमें मात्र विप्रार्थी संख्या 6 को अपूरणीय क्षति यह हो रही है कि यदि उसे स्थगन से पाबंद किया जाता है तो उक्त भूमि को उपयोग व उपभोग करने से वंचित रह जायेगी। प्रथम दृष्टाया मामला, अपूरणीय क्षति व सुविधा का संतुलन के बिन्दु भी विप्रार्थी संख्या 6 के पक्ष में साबित हो रहे हैं।

विशेष आपतियों में अभिकथन किया है कि विप्रार्थी संख्या 6 वृद्ध महिला हैं तथा प्रार्थीगण की माता व दादी हैं तथा विप्रार्थी संख्या 4 प्रार्थीगण

का भाई व चाचा हैं। विप्रार्थी संख्या 5 अत्यन्त वृद्ध हैं तथा बीमार रही हैं जिसके ईलाज के लिए रूपयो की आवश्यकता होने पर उक्त भूमि का बेचान सभी खातेदारो ने मिलकर सहमति से विप्रार्थी संख्या 6 को किया है। विप्रार्थी संख्या 1 से 5 द्वारा भूमि का बेचान करने से पहले प्रार्थीगण को अपने घर बुलाकर बेचान भूमि के बारे में जानकारी दी जिस पर उपरोक्त प्रार्थीगण ने भूमि नही लेने का कहा तब विप्रार्थी संख्या 1 से 5 ने मिलकर अपने नजदीकी रिश्तेदार तथा जाति समाज की महिला को उक्त भूमि बेचान कीने की बात कही, जिस पर विप्रार्थी संख्या 1 से 5 ने उक्त भूमि का बेचान विप्रार्थी संख्या 6 को किया तथा वक्त बेचान से विप्रार्थी संख्या 6 को मौके पर ले जाकर 3/4 हिस्से की भूमि पर कब्जा करवा दिया तथा वक्त बेचान से लेकर आज दिन तक विप्रार्थी संख्या 6 का कब्जा है व काश्त कर रही हैं। प्रार्थीगण मात्र विप्रार्थी संख्या 1 से 6 को तंग व परेशान करने के उद्देश्य से यह दावा मय प्रार्थना पत्र पेश किया है ताकि विप्रार्थीगण मानसिक, शारीरिक व आर्थिक रूप से तंग हो। विप्रार्थी संख्या 6 ने विप्रार्थी संख्या 1 से 5 द्वारा बेचान की हुई भूमि को लेकर सहायक कलेक्टर बाड़मेर के न्यायालय में बंटवाडे कादावा पेश किया, जिसे स्वीकार कर कब्जे काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाने का आदेश जारी हुआ, जिस पर तहसीलदार बाड़मेर व हल्का आरआई, पटवारी मौके पर जाकर विप्रार्थी संख्या 6 के कब्जे काश्त की भूमि का विभाजन कर न्यायालय में पेश किया जो दिनांक 13.10.2025 को अंतिम डिक्री जारी कर विभाजन अनुसार तहसीलदार बाड़मेर को आदेश दिया गया कि नक्शा में विभाजन अनुसार तरमीम कर विभाजन किया जावे। उक्त आदेश होने के बाद प्रार्थीगण ने विप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के उद्देश्य से यह अधिमान्य अधिकारो का वाद बिना किसकी आधारों व तथ्यों के पेश किया है। अंत में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र मय खर्चा हर्जा खारिज करने का निवेदन किया।

3. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पैतृक व पुश्तैनी कब्जा सुद है जिस पर वर्तमान में प्रार्थीगण द्वारा तारबंदी कर अपना पक्का रहवासी मकान बना रखा है तथा उसमें प्रार्थीगण अपने परिवार सहित निवास करते आ रहे हैं।

विप्रार्थी संख्या 1 से 5 ने वादग्रस्त आराजी में से अपने हिस्से की भूमि विप्रार्थी संख्या 6 का बेचान कर दी हैं। जबकि वादग्रस्त आराजी में संयुक्त खातेदार द्वारा अपनी भूमि में हित का अन्तरण करने पर सह खातेदार को सर्वप्रथम उस भूमि हित को खरीदने का हक है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरुद्ध ताफैसला वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि विप्रार्थी संख्या 6 वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रार्थीगण के हक अधिकारों में दखलदांजी व बाधा कारित नही करे तथा वादग्रस्त खेत का बेचान या हस्तान्तरण किसी अन्य को नही करे तथा रेकर्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस यह निवेदन किया गया कि वादग्रस्त आराजी पर वक्त बेचान से आज दिन तक विप्रार्थी संख्या 6 का कब्जा काश्त हैं। विप्रार्थी संख्या 1 से 5 ने वादग्रस्त आराजी में से अपने हिस्से की 3/4 भूमि सह खातेदारान द्वारा कय नही करने पर विप्रार्थी संख्या 6 को बेचान की हैं। उक्त बेचान को दिनांक 12.07.2023 को पंजीबद्ध भी करवाया गया है। विप्रार्थी संख्या 6 द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था। उक्त वाद को सहायक कलेक्टर बाड़मेर द्वारा स्वीकार किया जाकर कब्जे काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाने का आदेश जारी किया गया जिस पर तहसीलदार बाड़मेर, हल्का आरआई व पटवारी मौके पर जाकर विप्रार्थी संख्या 6 के कब्जे काश्त की भूमि का विभाजन किया गया तथा दिनांक 13.10.2025 को अंतिम डिक्री जारी कर विभाजन अनुसार तरमीम कर विभाजन किये जाने का आदेश सहायक कलेक्टर बाड़मेर के न्यायालय से दिया गया है। उक्त वाद में हुए निर्णय के विरुद्ध प्रार्थीगण ने कोई चाराजोही न कर सीधे ही अधिमानी अधिकारों का यह दावा पेश कर दिया है। वादग्रस्त आराजी पर वक्त बेचान से आज दिन तक विप्रार्थी संख्या 6 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा काश्त नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

5. उभय पक्षकारान के तर्को पर विचार किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. अस्थाई व्यादेश के तहत प्रार्थीगण को अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को प्रमाणित करना आवश्यक है :-

प्रथम दृष्टया मामला :-

7. प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया हैं कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 5 की पैतृक व पुश्तैनी कब्जा सुद हैं जिस पर वर्तमान में प्रार्थीगण द्वारा तारबंदी कर अपना पक्का रहवासी मकान बना रखा हैं तथा उसमें प्रार्थीगण अपने परिवार सहित निवास करते आ रहे हैं। विप्रार्थी संख्या 1 से 5 ने वादग्रस्त आराजी में से अपने हिस्से की भूमि विप्रार्थी संख्या 6 का बेचान कर दी हैं। जबकि वादग्रस्त आराजी में संयुक्त खातेदार द्वारा अपनी भूमि में हित का अन्तरण करने पर सह खातेदार को सर्वप्रथम उस भूमि हित को खरीदने का हक हैं। अतः इस बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया गया।
8. इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 1 से 6 का यह निवेदन रहा हैं कि वादग्रस्त आराजी पर वक्त बेचान से आज दिन तक विप्रार्थी संख्या 6 का कब्जा काश्त हैं। विप्रार्थी संख्या 1 से 5 ने वादग्रस्त आराजी में से अपने हिस्से की 3/4 भूमि सह खातेदारान द्वारा कय नही करने पर विप्रार्थी संख्या 6 को बेचान की हैं। उक्त बेचान को दिनांक 12.07.2023 को पंजीबद्ध भी करवाया गया हैं। विप्रार्थी संख्या 6 द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था। उक्त वाद को सहायक कलेक्टर बाड़मेर द्वारा स्वीकार किया जाकर कब्जे काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाने का आदेश जारी किया गया जिस पर तहसीलदार बाड़मेर, हल्का आरआई व पटवारी मौके पर जाकर विप्रार्थी संख्या 6 के कब्जे काश्त की भूमि का विभाजन किया गया तथा दिनांक 13.10.2025 को अंतिम डिक्री जारी कर विभाजन अनुसार तरमीम कर विभाजन किये जाने का आदेश सहायक कलेक्टर बाड़मेर के न्यायालय से दिया गया हैं। उक्त वाद में हुए निर्णय के विरुद्ध प्रार्थीगण ने कोई चाराजोही न कर सीधे ही अधिमानी अधिकारो का यह दावा पेश कर दिया हैं। वादग्रस्त आराजी पर वक्त बेचान से आज दिन तक विप्रार्थी संख्या 6 का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं।

प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा काशत नहीं है। अप्रार्थी संख्या 7 के राजकीय अभिभाषक ने नियमानुसार कार्यवाही की जाने कथन किया।

9. इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 5 की पैतृक एवं पुश्तैनी होने का कथन किया है तथा वर्तमान में प्रार्थीगण का कब्जा काशत होने का भी कथन किया है, परन्तु वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा काशत होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है, इसके विपरीत विप्रार्थी संख्या 1 से 6 द्वारा वादग्रस्त आराजी पर वर्तमान में विप्रार्थी संख्या 6 का कब्जा काशत होना जाहिर किया है, जिसके संबंध में विप्रार्थी संख्या 1 से 5 द्वारा विप्रार्थी संख्या 6 के पक्ष में किये गये रजिस्टर्ड बेचान की प्रति पेश की गई है। जहां तक विप्रार्थी संख्या 1 से 5 द्वारा वादग्रस्त आराजी में अपने हिस्से की भूमि अधिमानी अधिकार के तहत सर्वप्रथम सह खातेदारान प्रार्थीगण को बेचने का प्रश्न है या विप्रार्थी संख्या 6 को उसके द्वारा क्रय की गई वादग्रस्त आराजी की राशि अदा कर उक्त भूमि का बेचाननामा अपने नाम निष्पादित करवाने का अधिकारी है तथा इस हेतु प्रार्थीगण वर्तमान में भी तैयार व तत्पर है ये तथ्य इस स्तर पर विनिश्चय नहीं किये जा सकते हैं। ये तथ्य उभय पक्ष की साक्ष्य लेखबद्ध किये जाने के पश्चात ही तय किये जा सकते हैं। वादग्रस्त आराजी पर विप्रार्थी संख्या 6 का कब्जा काशत है तथा विप्रार्थी संख्या 6 द्वारा वादग्रस्त आराजी की भूमि विप्रार्थी संख्या 1 से 5 से सद्भाविक रूप से प्रतिफल की राशि अदा कर जरिये रजिस्टर्ड बेचान के क्रय की गई है यह स्वीकृत स्थिति है। इसके अलावा विप्रार्थी संख्या 6 द्वारा सहायक कलेक्टर बाड़मेर के न्यायालय में प्रार्थीगण के विरुद्ध एक राजस्व वाद भी पेश किया गया था, जिसे सहायक कलेक्टर बाड़मेर द्वारा स्वीकार किये जाने के बाद उस वाद में पारित निर्णय के विरुद्ध प्रार्थीगण द्वारा आज दिन तक कोई चाराजोही की गई हो, ऐसा पत्रावली के अवलोकन से परीलक्षित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने की हद तक प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है।

सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति : -

10. उपरोक्त विश्लेषण अनुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया गया है और पत्रावली पर यह स्वीकृत तथ्य है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 5 की पैतृक भूमि रही है, तो ऐसी स्थिति में

सम्पति का आगे अंतरण नहीं रोका जाता हैं तो इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता हैं कि पक्षकारान के मध्य जटिलताएं व वाद बाहुल्यता बढेगी। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में पाये जाते हैं।

11. परिणामतः प्रार्थीगण किशनाराम वगैरा द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. विरुद्ध विप्रार्थीगण देदाराम व अन्य आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर, आदेश दिया जाता है कि उभयपक्षकारान वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखे।

(अजिताभ आचार्य)
जिला न्यायाधीश
बाड़मेर

12. उक्त आदेश आज दिनांक 11.05.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अजिताभ आचार्य)
जिला न्यायाधीश
बाड़मेर